आना कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र.क्र. 2/स्व. निग./2015-16 में आदेश

80

निग – 1405 – II – 16

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

श्री अजय श्रीवास्तव (एड.) द्वारा आज दि. 4/05/16 को प्रस्तुत

राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

1. निशांत साहू, नवीन साहू, शिवा
तनय श्री छोटेलाल साहू
निवासी जतारा तह. जतारा, जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)
.........आवेदक

//विरूद्ध//

1. देवीदयाल रजक, लल्लू रेकवार निवासी ग्राम बैरवार,
निवासी जतारा तह. जतारा,जि. टीकमगढ़
........अनावेदकगण

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244808

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमाँक 02/स्व.निग/2015–16 में पारित आदेश दि० 21–04–2016 में पारित आदेश के विरूद्ध परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, अनावेदकगण के शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर बैरवार की खास भूमि खसरा नंबर 1118/1/1 रकवा 0.567 हे0 जो कि आवेदकगणों को तहसीलदार जतारा के प्रकरण कमांक 577/बी–121/2010–11 में आदेश दिनांक 31–05–2011 के अनुसार वंटित की गई थी को स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय दर्ज किए जाने का विवदित आदेश पारित कर दिया जिसमें आवेदक कारण बताओं सूचना पत्र जारी किए जाने के उपरांत आवेदकगणों द्वारा सम्मानीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की थी जिसका प्रकरण कमांक 3974 दो/15 दिनांक 27–04–2016 को विचाराधीन है जिसका मांगपत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.02–2016 को प्राप्त किए जाने के उपरांत भी अनाधिकृत रूप से दिनांक 21–04–2016 को अतिश्योक्ति में विवादित आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 1405-II-16 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-5-16	1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से उनके अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित उभयपक्षों के तर्क श्रवण किए गये। 2— मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ म०प्र० के प्रकरण क्रमांक 02/स्व. निग./2015—16 मे पारित आदेश दिनांक 21/04/2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि भूमि खसरा नंबर 1118/1/1 रकवा 0.567 हे0 का स्वत्वधारी है उसका कब्जा पूर्वजों के समय से चला आ रहा हैं। अनुविभागीय अधिकारी जतारा के अर्ध—शासकीय पत्र के आधार पर विवादित भूमि शासन में दर्ज की गई जिसकी अपील किए जाने पर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया जिसकी समुचित जॉच उपरांत न्यायालय तहसीलदार जतारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 577/बी—121/2010—11 आदेश दिनांक 31—05—2011 को आदेश पारित करते हुए आवेदक के नाम विधिवत पूवर्त दर्ज करते हुए प्रकरण समाप्त किया था तत्पश्चात उक्त आदेश के विरूद्व पुनः अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा 21—05—2012 को तहसीलदार जतारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31—05—2011 स्थिर रखते हुए प्रकरण निराकृत किया इसी बिंदु पर अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पुनः कार्यवाही प्रस्तावित की थी। जिसकी निगरानी राजस्व मंडल में विचाराधीन होने के उपरांत भी विवादित भूमि को शासन में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4— उनका यह भी तर्क है कि विवादित भूमि पर आवेदकगण का कब्जा पुश्तैनी समय से चला आ रहा है इस तथ्य की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18—12—2009 में प्रत्यावर्तित किए जाने पर तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21—05—2012 में तहसीलदार द्वारा आदेश	[हस्ताक्षर]

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
	दिनांक 31–05–2011 को की जा चुकी है। इस कारण अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा आवेदक का 02–10–1984 में कब्जा न होने के आधार पर स्वमेव निगरानी के तहत इतने लंबे अंतराल के पश्चात विवादित भूमि शासन में दर्ज की है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक के पक्ष किया गया तहसीलदार जतारा द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है। 5– अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर 02–10–1984 के पूर्व कोई कब्जा दर्ज नहीं था तथा आवेदक कभी भी वादग्रस्त भूमि पर काबिज नहीं रहा है इस कारण से दखल रहित अधिनियम के प्रावधान इस प्रकरण में आकर्षित नहीं होते है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी सारहीन होने से इसी स्तर पर समाप्त किए जाने का अनुरोध किया है। 6– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा आवेदक को 02/10/1984 में कब्जा न होने के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। जबकि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी जतारा के आदेश दिनांक 12–12–2009 में प्रकरण प्रत्यावर्तित किए जाने के उपरांत तहसीलदार जतारा द्वारा पुनः 31–05–2011 को आदेश पारित कर वादभूमि पर कब्जाधारी होना मान्य किया है। जिसकी अपील किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा पुनः तहसीलदार जतारा के आदेश दिनांक 31–05–2011 को स्थिर रखा गया है वर्ष 2015 में अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पुनः स्वमेव	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 1405 II-16 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निगरानी की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाता हूँ। अतएव प्रस्तुत तर्कों एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ। 7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/04/2016 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार जतारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/05/2011 स्थिर रखा जाता है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

[क्र. प. उ.